कार्यालय : श्रीमती शबनम कदीर मंसूरी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजगढ़ म.प्र.

क्रमांक : ३१/२०२४ राजगढ़, दिनांक : 14.10.2024

//संशोधित कार्य विभाजन आदेश//

श्रीमती पल्लवी बंसल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सारंगपुर के मातृत्व अवकाश पर होने से मैं श्रीमती शबनम कदीर मंसूरी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राजगढ़, कार्य तथा प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 12 एवं 13(2) के अंतर्गत एतद् द्वारा आपराधिक कार्य विभाजन पत्रक वर्ष 2024 में निम्नवत संशोधन और विलोपन करती हूं:–

मूल कार्य विभाजन पत्रक वर्ष 2024 में सुश्री पल्लवी बंसल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सारंगपुर से संबंधित सरल क्रमांक 12 के कॉलम क्रमांक 02 (क्षेत्रीय अधिकारिता) में से आरक्षी केन्द्र तलेन तथा लीमाचौहान को विलोपित किया जाकर श्री रविन्द्र गुप्ता न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सारंगपुर से संबंधित सरल क्रमांक 11 के कॉलम क्रमांक 02 (क्षेत्रीय अधिकारिता) में आरक्षी केन्द्र लीमाचौहान को एवं श्री संजय जैन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सारंगपुर से संबंधित सरल क्रमांक 13 के कॉलम क्रमांक 02 (क्षेत्रीय अधिकारिता) में आरक्षी केन्द्र तलेन को अंत स्थापित करती हूं।

इसी प्रकार सरल क्रमांक 12 के कॉलम क्रमांक 02 (क्षेत्रीय अधिकारिता) में महिलाओं से संबंधित अपराधों के संबंध में तहसील न्यायालय सारंगपुर के क्षेत्राधिकार के समस्त आरक्षी केन्द्र के अंतर्गत आने वाले प्रकरण सुश्री पल्लवी बंसल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सारंगपुर से संबंधित कॉलम से विलोपित कर श्री रविन्द्र गुप्ता न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सारंगपुर से संबंधित सरल क्रमांक 11 के कॉलम क्रमांक 02 (क्षेत्रीय अधिकारिता) में अंत स्थापित करती हूं।

अतः उपरोक्तानुसार संशोधन उपरांत नवीन कार्य व्यवस्था निम्नानुसार रहेगी :–

न्यायालय सारंगपुर

11.	श्री रविन्द्र गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सारंगपुर	1 आरक्षी केन्द्र सारंगपुर 2 आरक्षी केन्द्र खुजनेर (तहसील सारंगपुर से संबंधित क्षेत्र) 3 आरक्षी केन्द्र जीआरपी (तहसील सारंगपुर, पचोर से संबंधित) 4. लीमाचौहान	1. सारणी के कॉलम नं. 2 में वर्णित आरक्षी केन्द से उत्पन्न तथा धारा–173 दं.प्र.सं. के तहत उत्पन्न मजिस्ट्रेट द्वारा सुनवाई योग्य/उपार्पण योग्य समस्त पुलिस चालान, खात्मा परिवाद पत्र (ऐसे अन्य प्रकरण व कार्यवाही जिसे किसी अन्य मजिस्ट्रेट को इस कार्यविभाजन पत्रक के द्वारा आबंटित किया गया हो, को छोड़कर)। 2. समय समय पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा सुनवाई हेतु अंतरित किए गए आपराधिक एवं परिवाद प्रकरण। 3. क्षेत्राधिकार वाले आरक्षी केन्द्र के अंतर्गत होने वाली कस्टोडियल डेथ (मुत्यु जॉच) की सभी आवश्यक

14/10/24

			कार्यवाही एवं जॉच।
		01. आबकारी विभाग, 02. श्रम विभाग, 03. नापतौल विभाग, 04. नगरपालिका / नगर पंचायत 05. खाद्य विभाग 06. खनिज अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण 07. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी द्वारा पंजीबद्ध प्रकरण 08. अन्य समस्त शासकीय विभाग	सारणी के कॉलम नं. 02 में वर्णित विभागों द्वारा तहसील सारंगपुर एवं पचोर की सीमा क्षेत्र में बनाये गये समस्त आपराधिक प्रकरण (मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(2) के प्रकरणों को छोडकर)
		तहसील सारंगपुर एवं पचोर से संबंधित समस्त आरक्षी केन्द्र व वन परिक्षेत्र	1. वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम, वन विधियों तथा खान एवं खनिज विधियों से संबंधित तहसील सारंगपुर के अंतर्गत सुनवाई योग्य प्रस्तुत होने वाले समस्त आपराधिक एवं परिवाद प्रकरण। 2. वन अधिनियम एवं पर्यावरणीय कानूनों से संबंधित समस्त मामले। 3. गोण खनिज से संबंधित अपराध । 4. कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण 5. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनिय 2013 के अधीन मजिस्ट्रेट न्यायालय के क्षेत्राधिकार के विचारण योग्य प्रकरण। 6. Lynching and mob-violence से संबंधित मामले।
		तहसील सारंगपुर एवं पचोर के अंतर्गत आने वाले समस्त आरक्षी केन्द्र	1. भा.दं.सं. की धारा 312, 313, 314, 315, 354, 354ए, 354बी, 354सी, 354डी, म.प्र.संशोधन अधिनियम धारा 354ए, 366, 366ए, 366बी, 376ए से 376डी, 493, 498, 498ए, 509, अनैतिक व्यापार, निषेध अधिनियम 1956, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, महिलाओं का अशिष्टरूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986, सती प्रथा निवारण अधिनियम 1987 एवं

14-10-24

			ऐसे अन्य अपराध जो केवल महिलाओं के विरूद्ध किए जाते हैं, के पुलिस द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन या परिवाद से उद्‌भूत समस्त प्रकरण। (ऐसे अन्य प्रकरण व कार्यवाही जिसे किसी अन्य मजिस्ट्रेट को इस कार्यविभाजन पत्रक के द्वारा आबंटित किया गया हो, को छोड़कर)। 2. दं.प्र.सं. के अध्याय–9 की धारा 125 से 128 के मामले एवं घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले आवेदन पत्र एवं परिवाद (परिवार न्यायालय के अंतर्गत आने वाले मामलों को छोड़कर)
12.	सुश्री पल्लवी बंसल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सारंगपुर	——	——
13.	श्री संजय जैन, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सारंगपुर	1. आरक्षी केन्द्र छापीहेड़ा (तहसील सारंगपुर से संबंधित क्षेत्र) 2 आरक्षी केन्द्र बोड़ा (तहसील सारंगपुर एवं पचोर से संबंधित क्षेत्र) 3. आरक्षी केन्द्र पचोर, 4. तलेन	1. सारणी के कॉलम नं. 2 में वर्णित आरक्षी केन्द्र से उत्पन्न धारा–173 दं.प्र.सं. के तहत प्रस्तुत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण, खात्मा, परिवाद पत्र(ऐसे अन्य प्रकरण व कार्यवाही जिसे किसी अन्य मजिस्ट्रेट को इस कार्यविभाजन पत्रक के द्वारा आबंटित किया गया हो, को छोड़कर)। 2. समय समय पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा सुनवाई हेतु अंतरित किए गए आपराधिक एवं परिवाद प्रकरण। 3. क्षेत्राधिकार वाले आरक्षी केन्द्र के अंतर्गत होने वाली कस्टोडियल डेथ (मुत्यु जॉच) की सभी आवश्यक कार्यवाही एवं जॉच।
		तहसील सारंगपुर एवं पचोर के अंतर्गत आने वाले समस्त आरक्षी केन्द्र	तहसील सारंगपुर में स्थित समस्त थाना क्षेत्रों से उत्पन्न परक्राम्य लिखत अधिनियम, पेमेन्ट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट के अधीन प्रस्तुत होने वाले समस्त परिवाद पत्र।

14-10-24

02. तहसील न्यायालय सारंगपुर में धारा 164 दं.प्र.सं./ 131 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत कथन अंकित किये जाने हेतु निम्नानुसार व्यवस्था की जाती है:–

अनुसूची कमांक 01

इस अनुसूची के द्वारा धारा 164 दं.प्र.सं./181 बी.एन.एस.एस. के अधीन कथन अंकित किये जाने हेतु नीचे दर्शित आरक्षी केन्द्रों के अनुसार निम्नानुसार कार्य सौंपा जाता है।

(सूची– 01)

भा.दं.सं. की धारा 312, 313, 314, 315, 354, 354ए, 354बी, 354सी, 354डी, म.प्र. संशोधन अधिनियम धारा 354ए, 366, 366ए, 366बी, 376ए से 376ई, 493, 498, 498ए, 509, अनैतिक व्यापार निषेध अधिनियम 1956, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, महिलाओं का अशिष्टरूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986, सती प्रथा निवारण अधिनियम 1987 एवं ऐसे अन्य अपराध जो केवल महिलाओं के विरूद्ध किए जाते हैं, (पॉक्सो अधिनियम को सम्मिलित करते हुये) से संबंधित मामले में धारा 164 दं.प्र.सं./ 181 बी.एन.एस.एस. के अधीन कथन अंकित करने हेतु आरक्षी केन्द्रों का आवंटन निम्नानुसार किया जाता है :–

नोटः– कॉलम 03 में वर्णित मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति की दशा में कॉलम 04 में वर्णित मजिस्ट्रेट द्वारा कथन अंकित किये जायेंगें।

(सूची– 01)

क्रं	आरक्षी केन्द्र	मजिस्ट्रेट का नाम	मजिस्ट्रेट का नाम
1	2	3	4
	न्यायालय– सारंगपुर		
9	सारंगपुर, पचोर, तलेन, छापीहेड़ा (तहसील सारंगपुर से संबधित), लीमाचौहान, खुजनेर (तहसील सारंगपुर से संबंधित) जीआरपी (तहसील सारंगपुर, पचौर से संबंधित), बोड़ा (तहसील सारंगपुर व पचोर से संबंधित) **मजिस्ट्रेट न्यायालय में विचारणीय प्रकरणों को छोडकर**	श्री रविन्द्र गुप्त जे.एम.एफ.सी., सारंगपुर	श्री संजय जैन जे.एम.एफ.सी., सारंगपुर
10	सारंगपुर, पचोर, तलेन, छापीहेड़ा (तहसील सारंगपुर से संबंधित), लीमाचौहान, खुजनेर (तहसील सारंगपुर से संबधित) जीआरपी (तहसील सारंगपुर, पचौर से संबंधित), बोड़ा (तहसील सारंगपुर व पचोर से संबंधित) **मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय प्रकरण**	श्री संजय जैन जे.एम.एफ.सी., सारंगपुर	तहसील न्यायालय ब्यावरा में उपस्थित वरिष्ठतम महिला मजिस्ट्रेट (महिला मजिस्ट्रेट के अनुपस्थित रहने की दशा में उपस्थित ज्येष्ठ मजिस्ट्रेट)

14-10-24

सूची– 02

सूची – 01 में वर्णित अपराधों को छोड़कर शेष सभी प्रकार के अपराधों के संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 दंप्रसं/181 बी.एन.एस.एस. के अधीन कथन अंकित करने हेतु आरक्षी केन्द्रों का आवंटन निम्नानुसार किया जाता है:–

क्रं	आरक्षी केन्द्र	मजिस्ट्रेट का नाम	मजिस्ट्रेट का नाम
1	2	3	4
	न्यायालय – सारंगपुर		
13	आरक्षी केन्द्र सारंगपुर, लीमाचौहान, आरक्षी केन्द्र खुजनेर (तहसील सारंगपुर से संबंधित) आरक्षी केन्द्र जीआरपी (तहसील सारंगपुर, पचौर से संबंधित) , आबकारी अधिनियम, श्रम विभाग, नापतौल विभाग, नगर पालिका/ नगर पंचायत, खाद्य विभाग, खनिज विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रकरण एवं तहसील सारंगपुर के अंतर्गत आने वाले वन एवं पर्यावरण विधि के मामले, गौण खनिज से संबंधित अपराध एवं अन्य शासकीय विभाग	श्री संजय जैन जे.एम.एफ.सी., सारंगपुर	तहसील न्यायालय ब्यावरा में उपस्थित वरिष्ठतम मजिस्ट्रेट
14	आरक्षी केन्द्र छापीहेड़ा (तहसील सारंगपुर से संबंधित) एवं आरक्षी केन्द्र बोड़ा (तहसील सारंगपुर व पचोर से संबंधित), आरक्षी केन्द्र पचोर एवं आरक्षी केन्द्र तलेन, आरक्षी केन्द्र छापीहेड़ा (तहसील सारंगपुर से संबंधित) एवं आरक्षी केन्द्र बोड़ा (तहसील सारंगपुर व पचोर से संबंधित), आरक्षी केन्द्र पचोर	श्री रविन्द्र गुप्ता जे.एम.एफ.सी., सारंगपुर	तहसील न्यायालय ब्यावरा में उपस्थित वरिष्ठतम मजिस्ट्रेट

उक्त आदेश माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के अनुमोदन उपरांत दिनांक 15.10.2024 से प्रभावशील होगा।

14-10-24

(शबनम कदीर मंसूरी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
राजगढ़ म.प्र.

अनुमोदित

(राजीव म. आपटे)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
राजगढ़ म0प्र0

पृ.क्र. : 175/2024 राजगढ़, दिनांक : 14.10.2024

प्रतिलिपि,

1 श्री रविन्द्र गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सारंगपुर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।

2 सुश्री पल्लवी बंसल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सारंगपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

3 श्री संजय जैन, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सारंगपुर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।

4 पुलिस अधीक्षक जिला राजगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

5 जिला अभियोजन अधिकारी राजगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

6 सांख्यिकी लेखक, कार्यालय माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, राजगढ़ की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

7 सिस्टम ऑफीसर, जिला एवं सत्र न्यायालय राजगढ़ को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

8 अध्यक्ष, अभिभाषक संघ, सारंगपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

Shah 14-10-24

(श्रीमती शबनम कदीर मंसूरी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
राजगढ़ म.प्र.